

25/10/23

बकुलाय फलकारान उपस्थित। पीठासीन
अधिकारी पुनर्वर्ष
होने से प्रकरण दिनांक 27/12/23
को पेश हो।

आज्ञा ?


(९)

राड.

27.12.23

प्रवाबली पेश हुई। प्रार्थी अधिविवता अनुपस्थित।
प्रकरण का मुलवाद अदम-दाजरी-अदम परवी के
खारिज हो चुका है। मुल वाद खारिज होने से अतगत
प्रार्थनापत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थनापत्र कादेश 9 नियम 8 के तहत अदम परवी
अदम परवी के खारिज किया अत्र जाता है। निर्णय लेने
इजलास चुनावी अथवा प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर
ले कम है।


प्रतिभा वर्मा

DAS
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर